न्यायालय माननीय अध्यक्ष महोदय राजस्व मंडल ग्वालियर, इन्दौर केम्प

रिवीजन प्रकरण क /2016/झाबुआ

R-959-PBR/16

श्रीमती सुगनबाई पति श्री सुजानमलजी भण्डारी

आयु 72 साल धन्धा कुछ नही

निवासी पेटलावद

जिला झाबुआ म.प्र.- - - - - - - - - - - अनावेदिका/अनावेदक

विरूद्ध

1. कृष्णकुमार पिता विन्देश्वरीप्रसाद श्रीवास्तव

   आयु 45 साल धन्धा नौकरी शिक्षक

   निवासी 35 सुभाष मार्ग पेटलावद

   जिला झाबुआ म.प्र.

2. म.प्र. शासन

   द्वारा कलेक्टर झाबुआ - -- - - - - - - रेस्पाण्डेन्ट/आवेदक

रिवीजन अर्न्तगत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959

माननीय महोदय

अपीलांट की ओर से सादर नम्र निवेदन है कि :-

माननीय आयुक्त महोदय राजस्व इन्दौर जिला इन्दौर के द्वारा प्रकरण क. 447/अपील/2010-11 में दिनांक 26.08.15 को पारित आदेश जिसको

द्वारा उन्होने विद्वान कलेक्टर महोदय झाबुआ जिला झाबुआ के द्वारा प्रकरण क. 19/2010-11 में दिनांक 23-6-2011 को पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील निरस्त कर दिया व श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पेटलावद के द्वारा प्रकरण क 07अ-6/2008-09 मे दिनांक 28.12.10 को पारित आदेश के विरूद्ध रेस्पाण्डेन्ट के द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करते हुए कलेक्टश्र झाबुआ के द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की से असन्तुष्ट एवं व्यथित होकर अपीलांट यह अपील निम्न एवं अन्य अनेकानेक ठोस कानूनी आधारो पर प्रस्तुत करता है कि :-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आवृत्ति आदेश पृष्ठ

(श्रीमती सुगनबाई / कृष्णकुमार)

प्रकरण क्रमांक निगरानी 959 –पीबीआर / 16 जिला झाबुआ

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29–3–2016	आवेदिका के अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–8–2015 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । 2– अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया यह निष्कर्ष प्रथमदृष्टया विधिसंगत है कि सर्वे नम्बर 217 / 3 का रकबा बन्दोबस्त के पूर्व 1.279 हेक्टेयर होकर बन्दोबस्त के बाद अनोवदक के पास 1 हेक्टेयर भूमि रही होकर शेष भूमि 0.279 हेक्टेयर नवीन सर्वे कमांक 194 / 463 में दर्ज होकर रकवा 0.56 हेक्टेयर बना दिया गया है, जो कि आवेदिका के नाम से भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज है। प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में चले नामान्तरण प्रकरणों में यह रकबा 0.90 हेक्टेयर हो गया है, जबकि अनावेदक कमांक 1 द्वारा रकबा 0.279 हेक्टेयर भूमि के स्वत्व के संबंध ही दुरूस्ती हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। सर्वे कमांक 217 / 3 रकबा 0.344 हेक्टेयर भूमि परिवर्तित घोषित की गई है, जबकि अभिलेख में आवेदिका की भूमि रकबा 0.279 हेक्टेयर दर्ज है । प्रकरण में आवेदिका को सर्वे कमांक 194 / 463 (पुराना सर्वे कमांक 217 / 3) रकबा 0.56 हेक्टेयर का पटटा बन्दोबस्त के दौरान प्राप्त होना अवगत कराया गया है। ऐसी स्थिति में प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में संहिता के लागू होने की स्थिति के प्रारंभ से ही जॉच करवाने के आदेश देने में कलेक्टर द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है। अतः उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त द्वारा अपील निरस्त करने में प्रथमदृष्टया विधिसंगत कार्यवाही की गई है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	